

1911 के अधिनियम के तहत लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान की गई।
 लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य था कि वह उच्च न्यायालय के फैसलों को पुनर्विचार कर सके।
 1911 के अधिनियम के तहत लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान की गई।
 लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य था कि वह उच्च न्यायालय के फैसलों को पुनर्विचार कर सके।

Executive Powers

लार्ड एडमंड्स को सरकार के प्रश्न प्रस्तावों का
 अंतिम प्राप्ति देना उनकी नीतियों पर वाक-विवाद
 करने का अधिकार है। गंजीमंडल में भी उनके सदस्य
 बिलों को लाने हैं। लार्ड एडमंड्स को गंजीमंडल के विच्छेद
 गिन्दा का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है।
 गंजीमंडल लार्ड एडमंड्स के प्रति अशरणाही नहीं है।

Lords Judicial Powers

लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान की गई।
 लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य था कि वह उच्च न्यायालय के फैसलों को पुनर्विचार कर सके।
 लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य था कि वह उच्च न्यायालय के फैसलों को पुनर्विचार कर सके।
 लार्ड एडमंड्स को अपील की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य था कि वह उच्च न्यायालय के फैसलों को पुनर्विचार कर सके।

